दिनांक 01.10.2025

प्रेस विज्ञप्ति 01/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–अवैध मादक पदार्थ (चरस) की तस्करी करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गैंग का सक्रिय तस्कर कमिश्नरेट आगरा से 07.970 कि0ग्रा0 अवैध चरस सहित गिरफ्तार।

दिनाकः 30–09–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थ (चरस) की तस्करी करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गैंग के सक्रिय तस्कर रोशन शाह को कमिश्नरेट आगरा से 07.970 कि0ग्रा0 अवैध चरस सहित गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– रोशन शाह पुत्र नागेश्वर शाह निवासी नामथर बहुजरी, जनपद वारा, नेपाल राष्ट्र हाल निवासी कलकी तीन थाना काण्ठमांडू, नेपाल। उम्र करीब 38 वर्ष

बरामदगी :–

1– 07.970 किलोग्राम चरस (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 04 करोड रूपये)

2– एक नोकिया मोबाइल फोन नम्बर 7050095180,

3– रू0 1020/–नकद

4– नेपाली नागरिक कार्ड

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

दिनांक–30–09–2025 समय–19.50 बजे आगरा किला गेट के सामने रामलीला मैदान के मॅदिर के पीछे वाहन पार्किग थाना क्षेत्र रकाबगंज, कमिश्नरेट आगरा।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को नेपाल के रास्ते बिहार होते हुये उत्तर प्रदेश में मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह के सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई, आगरा द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 30–09–2025 को मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति आगरा किला गेट रामलीला मैदान के मॅदिर के पीछे वाहन पार्किग पर किसी वाहन द्वारा आगरा आने वाला है जो किसी को प्रतिबन्धित अवैध मादक पदार्थ चरस देने वाला है एवं पूर्व में भी आगरा में सप्लाई दे चुका है। इस सूचना पर तत्काल निरीक्षक

यतीन्द्र शर्मा के नेतृत्व में हे0का0 विमल कुमार, हे0का0 प्रशांत कुमार, हे0का0 अरविन्द सिंह, हे0का0 प्रदीप कुमार, हे0का0 अंकित गुप्ता, आरक्षी हरपाल सिंह की एक टीम गठित कर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए मुखबिर के साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुॅच कर आगरा किला गेट के सामने रामलीला मैदान के मॅदिर के पीछे वाहन पार्किंग आटोमैटिक शुलभ शौचालय के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति जो काले रंग का बैग लिये आता दिखाई दिया, जिसको मुखबिर की निशादेही पर पकड़ लिया गया तथा एसीपी सदर कमिश्नेट आगरा श्री हेमन्त कुमार आगरा के समक्ष तलाशी की कार्यवाही की गयी, जिसपर उपरोक्त बरामदगी हुई, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह विगत कुछ समय से अवैध चरस की तस्करी का काम कर रहा है। विनय नाम का व्यक्ति जो उसे काठमाण्डू नेपाल में शराब पीने के दौरान मिला था जिससे बातचीत के दौरान बताया कि यदि तुम एक पार्सल जहॉ मैं कहूॅ पहुॅचा दो तो वह मुझे पॉच हजार रूपये प्रत्येक चक्कर पर देगा। उक्त पार्सल में चरस होगी, जिसे तुम्हे बड़ी सावधानी से पुलिस के नजरो से बचाकर ले जाना है। वह मुझे पार्सल रक्सोल बिहार नेपाल बार्डर पर नहर के पास देता था, जिसे लेकर वह बस/ट्रेन द्वारा बताये गये कुश नाम के व्यक्ति को आगरा में दे देता था। पैसा की लालच में वह यह कार्य कर रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना रकाबगंज, कमिश्नरेट आगरा में मु0अ0स0 163/2025 धारा 8/20/23/29 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

<u>एसटीएफ–वाहन चोर का सरगना चोरी की एक अदद न्यू ब्राण्ड महिन्द्रा थार सहित गिरफ्तार।</u>

दिनांक 01–10–2025 को एसटीएफ उ0प्र0 द्वारा वाहन चोर के सरगना को एक अदद चोरी की न्यू ब्राण्ड महिन्द्रा थार सहित जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–</u>

1. त्रिपुरेश पाण्डेय पुत्र श्री धर्मवीर पाण्डेय, निवासी–ग्राम टेकवार, थाना खजनी, जनपद गोरखपुर।

अभियुक्त से बरामदगी–

1– 01 अदद न्यू ब्राण्ड महिन्द्रा थार कार।

2– 01 अदद मोबाइल फोन।

3– 01 अदद आधार कार्ड।

4– 01 अदद ड्राइविंग लाइसेंस।

5– 01 अदद रूपे–डेबिट कार्ड।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

दिनांक 01.10.2025 समय 01.00 बजे। गिरफ्तारी का स्थान–पैडलेगंज से मोहद्दीपुर की ओर लगभग 200 मीटर, थानाक्षेत्र कैण्ट, जनपद गोरखपुर।

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से वाहन चोर गिरोह के अपराधियों के सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ, लखनऊ के पर्यवेक्षण में एवं निरीक्षक श्री सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ फील्ड इकाई, गोरखपुर टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि वाहन चोर का सरगना अपने एक साथी के साथ दिल्ली से काले रंग की महिन्द्रा थार गाड़ी ब्राण्ड न्यू चुरा कर लाये हैं और उसे बेचकर भागने की फिराक में हैं। मुखबिर खास ने बताया कि दोनों चोर मय महिन्द्रा थार गाड़ी के पैडलेगंज से मोहद्दीपुर रोड पर मौजूद हैं। इस सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह, उ०नि० श्री यशवंत सिंह, मु०आ० महेन्द्र प्रताप सिंह, मु०आ० अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, मु०आ० आशुतोष कुमार तिवारी, मु०आ० विनय कुमार सिंह, मु०आ० जितेन्द्र कुमार यादव, द्वारा मुखबिर से प्राप्त इस सूचना पर आवश्यक घेराबन्दी कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरमादगी की गयी तथा एक एक अभियुक्त रात्री का फायदा उठा कर भागने में सफल हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

अभियुक्त त्रिपुरेश पाण्डेय ने पूछताछ में बताया कि महिन्द्रा थार बिना नम्बर की ब्राण्ड न्यू गाड़ी मैंने व रंजीत कुमार उर्फ मंगलेश गोस्वामी ने मिलकर महिन्द्रा शोरूम अशोक बिहार दिल्ली से चोरी किया है। गाड़ी चोरी करने के बारे में बताया कि रंजीत कुमार उर्फ मंगलेश गोस्वामी महिन्द्रा शोरूम के अन्दर घुसा और एक गाड़ी की चाभी लेकर आया, मैं बाहर खड़ा था। चाभी से उसने रिमोट बटन दबाकर खोली, जिससे एक गाड़ी खुल गयी। फिर हम दोनों गाड़ी लेकर चोरी करके निकल आए। मौके से रंजीत कुमार उर्फ मंगलेश गोस्वामी फरार हो गया।

त्रिपुरेश पाण्डेय का आपराधिक इतिहास निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	731/2017	379, 406, 411, 420 भा0द0वि0	गुलरिहा	गोरखपुर
2	736/2017	406, 411, 420, 504, 506 भा0द0वि0	गुलरिहा	गोरखपुर
3	740/2017	406, 411, 420, भा0द0वि0	गुलरिहा	गोरखपुर
4	577/2017	406 भा0द0वि0	गोरखनाथ	गोरखपुर
5	559/2017	406, 411, 504, 506 भा0द0वि0	खजनी	गोरखपुर
6	560/2017	406, 420 भा0द0वि0	खजनी	गोरखपुर
7	1372/2017	406, 420 भा0द0वि0	कैण्ट	गोरखपुर
8	1380/2017	406, 411, 420 भा0द0वि0	कैण्ट	गोरखपुर
9	1381/2017	406, 411, 420 भा0द0वि0	कैण्ट	गोरखपुर
10	728/2017	406, 411, 420, 506 भा0द0वि0	गुलरिहा	गोरखपुर
11	160/2020	13, 7, 8 भ्र0नि0अधि0 व 120बी, 167, 170, 201, 364ए, 406, 419, 420, 467, 468, 471, 506 भा0द0वि0 व 26 भारतीय तार अधिनियम व 5 शासकीय गुप्त बात अधिनियम	हजरतगंज	लखनऊ मध्य (कमिश्नरेट लखनऊ)
12	97/2022	2, 3 उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0	हजरतगंज	लखनऊ मध्य (कमिश्नरेट लखनऊ)

फरार/वांछित रंजीत कुमार उर्फ मंगलेश गोस्वामी उर्फ श्याम जी पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी–आर्चायपूर्वी सेमरी तरहर पोस्ट–गणेशपुर थाना इकौना जनपद श्रावस्ती का आपराधिक इतिहास निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
01	935/2017	379/411 भा0द0वि0	कोतवाली	बाराबंकी
02	835/2017	379/411/420 भा0द0वि0	गाजीपुर	लखनऊ पूर्वी (कमिश्नरेट लखनऊ)
03	1241/2017	411/420 भा0द0वि0	ठाकुरगंज	लखनऊ पश्चिमी (कमिश्नरेट लखनऊ)
04	466/2019	380/411/413/414/420/457 भा0द0वि0	महानगर	लखनऊ मध्य (कमिश्नरेट लखनऊ)
05	1260/2019	392/411/413/414/420 भा0द0वि0	गोमतीनगर	लखनऊ पूर्वी (कमिश्नरेट लखनऊ)
06	1303/2019	379/411/413/414/420 भा0द0वि0	गोमतीनगर	लखनऊ पूर्वी (कमिश्नरेट लखनऊ)
07	534/2020	41/411/413 भा0द0वि0	कृष्णानगर	लखनऊ दक्षिणी (कमिश्नरेट लखनऊ)
08	588/2020	379/411/414/419/420 /420/467/468/471 भा0द0वि0	गोमतीनगर	लखनऊ पूर्वी (कमिश्नरेट लखनऊ)
09	81/2021	379/411 भा0द0वि0	अमीनाबाद	लखनऊ पश्चिमी (कमिश्नरेट लखनऊ)
10	82/2021	379/411/413/420 भा0द0वि0	अमीनाबाद	लखनऊ पश्चिमी (कमिश्नरेट लखनऊ)
11	342/2021	379/411 भा0द0वि0	गाजीपुर	लखनऊ पूर्वी (कमिश्नरेट लखनऊ)
12	0161/2025	325(2) बी0एन0एस0	इन्द्रिरानगर	लखनऊ मध्य (कमिश्नरेट लखनऊ)

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त को थाना कैण्ट, जनपद गोरखपुर में मु0अ0सं0–0535/2025 धारा 317(2) बी0एन0एस0 में दाखिल किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही थाना कैण्ट जनपद–गोरखपुर पुलिस द्वारा की जायेगी।

जनपद सीतापुर/थाना महोली

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटी गयी कार**
- **नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन**
- **03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 30.09.2025/01.10.2025 को थाना महोली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महोली–पिसावां रोड पर चड़रा गॉव के पास बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त जफरूद्दीन घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया तत्पश्चात पाताबोझ मोड़ के पास से अभियुक्त 2–अरबाज 3–आसिफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटी गयी कार, नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन, 03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना महोली पर पंजीकृत लूट के अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना महोली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जफरूद्दीन निवासी अभयपुर केसोपुर थाना भोजीपुर जनपद बरेली।

2–अरबाज निवासी बैकुंठापुर थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

3–आसिफ निवासी बैकुंठापुर थाना भोजीपुरा जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लूटी गयी कार।

2–नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन।

3–03 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सम्भल/थाना ऐंचोडा कम्बौह

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 30.09.2025 की रात्रि थाना ऐंचोडा कम्बौह पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर घुन्सुपुर रोड पर चेकिंग के दौरान बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त अरशद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कसया जनपद कुशीनगर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना ऐंचोडा कम्बौह पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अरशद निवासी मोहल्ला कोट गरवी थाना कोतवाली जनपद सम्भल।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोरा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर आदि बरामद**

दिनॉकः 30.09.2025/01.10.2025 को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चोला रोड पर बन्द पड़ी फैक्ट्री के पास से 03 अभियुक्तों

1–चांद मोहम्मद 2–साजिद 3–वकील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त चांद मोहम्मद, साजिद के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 07–07 अभियोग व अभियुक्त वकील के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–चांद मोहम्मद निवासी खोदना कला थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

2–साजिद निवासी खोदना कला थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

3–वकील निवासी फतेहपुर अट्टा थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 08 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर आदि।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना जैतीपुर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 किलोग्राम अवैध अफीम**
- **नगद रूपये**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 01.10.2025 को थाना जैतीपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिउरा तिराहा से 02 अभियुक्तों 1–ओमकान्त 2–छत्रपाल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 किलोग्राम अवैध अफीम, नगद रूपये 01 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना जैतीपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ओमकान्त निवासी ग्राम बैसरा थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर।

2–छत्रपाल निवासी ग्राम बंधीचक थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1–01 किलोग्राम अवैध अफीम।

2–नगद रूपये।

3–01 मोबाइल फोन।

- **जनपद बाराबंकी/थाना देवा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना देवा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–विनोद 2–शत्रोध्न को आजीवन कारावास व 12–12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मुजफ्फरनगर/थाना भोपा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठिन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना भोपा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त छोटा को 20 वर्ष के कठिन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बलरामपुर/थाना पचपेड़वा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 08 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बलरामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलरामपुर द्वारा थाना पचपेड़वा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366ए भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रकाश को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 08 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना नरसैना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 36–36 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना नरसैना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/325/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–महाराज 2–ओमकार को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 36–36 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 08 वर्ष के कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अनिल को 08 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मुजफ्फरनगर/थाना मन्सूरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना मन्सूरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 9/10 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त आर्यमित्र उर्फ अमित को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————